रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 1976/पौष 29, 1897
No. 24] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 1976/PAUSA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

No. ... Date ... GOVT. OF IN

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th January 1976

G.S.R. 28 (E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (IV-Issue) Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (IV-Issue) (Amendment) Rules, 1976

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the National Savings Certificates (IV-Issue) Rules, 1970—

(a) after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

"6A. *Purchase of Certificates on behalf of others*—

A person or body specified in column 1 of the Table below may purchase certificate(s) on behalf of persons specified against his or its name in the corresponding entry in column II of the said Table :

Provided that the persons specified in the said column II are eligible under these rules to purchase certificates.

TABLE

I	II
Person or body who can purchase	on behalf of
(i) an adult	a minor
(ii) a co-operative society, a co-operative bank or a scheduled bank.	its members, clients, employees or contractors, whose monies are held as deposit or otherwise with such society or bank.
(iii) a Gazetted Government officer, an officer of a Govt. company or of a local authority in his official capacity or the Reserve Bank of India.	persons whose monies are held as deposit or otherwise with such officer or the Reserve Bank".;

(b) in Form I, in paragraph (1), after sub-paragraph (b), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

@ (c) in the Name of ————————————————

On behalf of ————————————————

@ (For a Co-operative society, co-operative bank or a Scheduled bank, on behalf of its members, clients, employees or contractors, whose monies are held as deposit or otherwise with such society or bank; for a Gazetted Government officer an officer of a Government Company or of a local authority in his official capacity, or the Reserve Bank of India, on behalf of persons whose monies are held as deposit or otherwise with such officer or the Reserve Bank).

[No. F. 3(40)-NS/75/I]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 28(ई).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत–पत्र अधिनियम, 1969 (1969 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (4–निर्गम), नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (4–निर्गम) (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (4–निर्गम) नियम, 1970 में:—

(क) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम, अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"6क अन्य की ओर से बचत पत्रों का क्रय :—

नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या निकाय उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उसके नाम के सामने तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की ओर से बचत पत्र क्रय कर सकता है :

परंतु यह तब जब कि उक्त स्तम्भ 2 मे विनिर्दिष्ट व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत बचत पत्र क्रय करने के लिए पात्र हों ।

सारणी

1	2
वह व्यक्ति या निकाय जो क्रय कर सकता है	वह व्यक्ति जिसकी ओर से क्रय किया जा सकता है
(i) कोई वयस्क	कोई अवयस्क
(ii) कोई सहकारी समिति, सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक	उसका कोई सदस्य, कक्षोकार, (क्लाईंट), कर्मचारी या ठेकेदार जिसका धन ऐसी सोसाइटी या बैंक में निक्षेप के रूप में अथवा अन्य रूप में हो ।
(iii) कोई राज पत्रित सरकारी अधिकारी, सरकारी कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी का कोई अधिकारी अपनी शासनीय हैसियत से या भारतीय रिजर्व बैंक	वे व्यक्ति जिनके धन ऐसे अधिकारी के पास या रिजर्व बैंक में निक्षेप के रूप में या अन्य रूप में हो ।" ;

(ख) प्ररूप 1 में, पैरा (1) में उप पैरा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

@.....के नाम में

@.....की ओर से

@(सहकारी समिति, सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक के लिए उसके सदस्यों, कक्षोकारों, कर्मचारियों या सविदाकारों की ओर से जिनका धन निक्षेप के रूप में ऐसी समिति या बैंक में जमा हो; राजपत्रित सरकारी अधिकारी, सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी का अधिकारी अपने औपचारिक हैसियत में या भारतीय रिजर्व बैंक उन व्यक्तियों की ओर से जिनका धन निक्षेप या दूसरी रीति से ऐसे अधिकारी या रिजर्व बैंक के पास जमा हो)

[सं० फा० 3 (40)एन एस/75/I]

G.S.R. 29 (E).—In exercise[1] of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (V Issue) (Amendment Rules 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973—

after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

"6A. *Purchase of certificates on behalf of others*—

A person or body specified in column 1 of the Table below may purchase certificate (s) on behalf of persons specified against his or its name in the corresponding entry in column II of the said Table :

Provided that the persons specified in the said column II are eligible under these rule to purchase certificates.

TABLE

1	2
Person or body who can purchase	on behalf of
(i) an adult	a minor
(ii) a co-operative society, a co-operative bank or a scheduled bank.	its members, clients, employees or contractors whose monies are held as deposit or otherwise with such society or bank.
(iii) a Gazetted Government officer, an officer of a Government company or of a local authority in his official capacity or the Reserve Bank of India.	persons whose monies are held as deposit or otherwise with such officer or the Reserve Bank.";

(b) in Form 1, in paragraph (1), after sub-paragraph (b), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"@ (c) In the name of ————————————

On behalf of ————————————

@ (For a co-operative society, co-operative bank or a Scheduled bank, on behalf of its members, clients, employees or contractors, whose monies are held as deposit or otherwise with such society or bank; for a Gazetted Government officer, an office of a Government Company or of a local authority in his official capacity or the Reserve Bank of India, on behalf of persons whose monies are held as deposit or otherwise with such officer or the Reserve Bank).

[No. F.3(40)-NS/75/II]

K. N. ROW, Jt. Secy.

सा० का० नि० 29 (अ):— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1969 (1969 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचत पत्र (5–निर्गम) नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (5–निर्गम) (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (5–निर्गम) नियम, 1973 में—

(क) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम, अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

" 6क शून्य की ओर से बचत पत्रों का क्रय—

नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या निकाय उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उसके नाम के सामने तत्संबंधी प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की ओर से बचत पत्र क्रय कर सकता है।

परंतु यह तब जब कि उक्त स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत बचत पत्र क्रय करने के लिए पात्र हों।

सारणी

1	2
वह व्यक्ति या निकाय जो क्रय कर सकता है	वह व्यक्ति जिसकी ओर से क्रय किया जा सकता है
(i) कोई वयस्क	कोई अवयस्क
(ii) कोई सहकारी समिति, सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक	उसका कोई सदस्य, कक्षीकार, (क्लाईंट), कर्मचारी या ठेकेदार जिसका धन ऐसी सोसाइटी या बैंक में निक्षेप के रूप में अथवा अन्य रूप में हो।
(iii) कोई राजपत्रित सरकारी अधिकारी सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी का कोई अधिकारी अपनी शासनीय हैसियत से या भारतीय रिजर्व बैंक	वे व्यक्ति जिनके धन ऐसे अधिकारी के पास या रिजर्व बैंक में निक्षेप के रूप में या अन्य रूप में हो।" ;

(ख) प्ररूप 1 में, पैरा (1) में उप पैरा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अतः स्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

@..... .....के नाम में

@..... ....की ओर से

@(सहकारी समिति, सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक के लिए उसके सदस्यों, कक्षीकारों, कर्मचारियों या संविदाकारों की ओर से जिनका धन निक्षेप के रूप में ऐसी समिति या बैंक में जमा हो; राजपत्रित सरकारी अधिकारी, सरकारी कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी का अधिकारी अपने औपचारिक हैसियत में या भारतीय रिजर्व बैंक उन व्यक्ति की ओर से जिनका धन निक्षेप या दूसरी रीति में ऐसे अधिकारी या रिजर्व बैंक के पास जमा हो)

[सं० फा० 3 (40) एन एस/75/II]

के० एन० राव, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976